(16)

पत्र संख्या-स्था-5(ख)-पदोन्नति -वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-2019-20-20-21// 3700 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // 04 जनवरी, 2021

-:: आदेश ::-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 मे दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4600 / लेवल-7) को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4800 / लेवल-8) के पद पर चयन वर्ष 2020-21 के लिए पदोन्नति प्रदान करते हुए कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय / स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र0 सं0	ज्ये0 क्रमांक	कर्मचारी का नाम / पिता का नाम सर्वश्री	वर्तमान तैनाती	नव तैनाती स्थान
1	2	3	4	5
1	550	आदेश कुमार गुप्ता / राजेन्द्र कुमार	मेरठ	वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ

2- उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारी पदोन्नति फलस्वरुप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दिनांक 18-01-2021 तक अपने नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि किन्हीं कारणों से वह पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक न हो, तो उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र संबंधित नियन्त्रक अधिकारी / संभागीय अधिकारी को प्राप्त कराकर नियमानुसार तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

3- संबंधित नियन्त्रक अधिकारी / संभागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र / नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जॉच / ई0ओ0डब्ल्यू0 जॉच चल रही हो तो ऐसे कार्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।

4- संबंधित नियन्त्रक अधिकारी / संभागीय अधिकारी कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि यदि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिक की लिपिक वर्गीय कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची दिनांक 09-11-2015 में निर्धारित ज्येष्ठता उसकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से अवस्थित है, तो यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और मुख्यालय के पत्रसंख्या-4466 दिनांक 22-12-2018 के क्रम में वांछित सूचना संबंधित कार्मिक के मौलिक नियुक्ति आदेश एवं तदर्थ नियुक्ति आदेश की प्रमाणित छायाप्रतियों सहित अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करायें।

5- वर्तमान में यदि कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेंगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक // उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2- जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, मेरठ।

05-01-21

2046

3- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, सम्भाग सम्भाग-ए / बी मेरठ ।
4- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी, वाणिज्य कर, मेरठ ।
6- आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, मेरठ / मुख्यालय ।
7- चरित्र पंजिका सेल, वाणिज्य कर, स्थापना अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय ।
9- पटल प्रभारी स्था0-5(क), स्था0-4(ख), स्था0-6 सामान्य वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
10- सम्बन्धित कर्मचारी को (नाम से) ।

04/01/2021

(पी0एन0यादव)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना अराज0)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।